राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 104 / 2023 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – पिरामल केपिटल एण्ड हाऊसिंग फाईनेंस लि0 शाखा भीलवाड़ा। **बनाम**

1. राजवीर सिंह पुत्र देवकरण सिंह निवासी बी–77, आटूण रोड, सुखाड़िया स्टेडियम के पास, कमला विहार, भीलवाड़ा
2. लीलावती चौधरी पत्नी राजवीर सिंह बी–77, आटूण रोड, सुखाड़िया स्टेडियम के पास, कमला विहार, भीलवाड़ा।

—— प्रार्थी **——अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी– श्री राहुल व्यास।

निर्णय

दिनांक : 04-08.2023

प्राधिकृत अधिकारी – पिरामल केपिटल एण्ड हाऊसिंग फाईनेंस लि0 शाखा कार्यालय भीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी जिसमें अप्रार्थी को 37,85,000/– रूपये का ऋण दिनांक 17.12.2014 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति–**लीलावती चौधरी पत्नि राजवीर सिंह के नाम का मकान/प्लॉट नं. 89, आराजी नं. 611–617, 619, 620/1, कमला क्रिस्टल, आटूण, भीलवाड़ा में स्थित आवासीय जायदाद मय समस्त पार्ट्स एंड पार्सल, जिसका क्षेत्रफल 1250 वर्ग फीट है** (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 31.05.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 36,60,091/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 11.04.2021 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।